

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1911/2013/बांसवाड़ा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड—द्वितीय, बांसवाड़ा.अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स हंसराज सिंह झाला, कुशलगढ़, बांसवाड़ा.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.


दिनांक : 12/01/2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 21/वेट/12-13/बांसवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 09.05.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, -2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—द्वितीय, बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, 24 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23, 24 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.01.2012 को पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये 5,000/- का आरोपण किया गया तथा रूपये 10,600/- का अतिरिक्त करारोपण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 से आंशिक स्वीकार की जाकर कर राशि को आधा किया गया व आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।



लगातार.....2

बहस के दौरान अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि के विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को शास्ति आरोपण बाबत विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किये जाने के कारण धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण प्रथम दृष्टया विधिविरुद्ध किया गया था। अतः धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।


उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009-10 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 19.01.2012 में विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। वेट अधिनियम की धारा 58 इस प्रकार है:-

58. Penalty for failure to furnish return. - Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorised by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed to furnish prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty;

(i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and

(ii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.



इसी प्रकार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 के तहत भी व्यवहारी के विरुद्ध कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करना आज्ञापक है। नियम 48 उद्धरित करना सुसंगत होगा :-

48. Granting opportunity of hearing and recording of reasons,-


Where an assessing authority or any other officer, enhances the admitted tax liability of a dealer, or imposes a penalty on him or on any other person under the provisions of the Act or the Rules, or passes any order detrimental to their interest, the said authority or officer shall record the reasons thereof, and no such order shall be passed unless the dealer or the person has been given a reasonable opportunity of being heard.

कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधि के कर निर्धारण के लिये प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस दिनांक 11.11.2011 सुनवाई दिनांक 23.12.2011 जारी किया गया है, किन्तु उक्त नोटिस प्रत्यर्थी व्यवहारी पर तामील होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलौच्य अवधि के कर निर्धारण एवं धारा 58 से सम्बन्धित विशिष्ट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

माननीय राजस्थान कर बोर्ड का निरन्तर यह मत रहा है कि वेत अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपण से पूर्व व्यवहारी को बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण बताने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना विधिक रूप से आवश्यक है, जिसका इस प्रकरण में अभाव है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, अतिरिक्त आरोपित कर राशि को आधा करने का आदेश भी उचित है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा इस सीमा तक कर निर्धारण अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

 12-01-2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य